रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-Section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 142] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 11, 1996/भाद्र 20, 1918
No. 142] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 11, 1996/BHADRA 20, 1918

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1996

आ. अ. 211(अ).—यत: महाराष्ट्र राज्य सें राज्य सभा के एक पदासीन सदस्य श्री सुरेश कलमादी शामराव का स्थान 10 मई, 1996 को उनके लोक सभा से चुने जाने के कारण रिक्त हो गया है ।

अत: अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 147 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग, महाराष्ट्र राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे ऐसी हुई रिक्ति को भरने के लिए उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें ।

[सं. 100/रा.स.-महाराष्ट्र/2/96(1)]

आदेश से,

अर्चना अरोड़ा, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 1996

O.N. 211(E).—Whereas the seat of Shri Suresh Kalmadi shamrao, a sitting Member of the Council of States from the State of Maharashtra, has become vacant on 10th May, 1996 on his election as a Member of the House of the People;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 147 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby calls upon the elected members of the Legislative Assembly of Maharashtra state to elect, in accordance with the provisions of the said Act, and of the rules and orders made thereunder, a person to fill the vacancy so caused.

[No. 100/CS-MT/2/96(1)]

By Order,
ARCHNA ARORA, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1996

आ. अ. 212(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 39 के उपबंधों के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना संख्या 100/रा.स.-महाराष्ट्र/2/96(2) तारीख 11 सितम्बर, 1996 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में:—

(क) नामनिर्देशन करने की अंतिम तारीख 18-09-1996 (बुधवार)

(ख) नामनिर्देशन की संवीक्षा की तारीख 19-09-1996 (वीरवार)

(ग) अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अंतिम तारीख 20-09-1996 (शनिवार)

(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा 28-09-1996 (शनिवार)

(ङ) वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन पूरा कर लिया जाएगा 01-10-1996 (मंगलवार) एतद्द्वारा नियत करता है ।

[सं. 100/रा.स.-महाराष्ट्र/2/96(2)]

आदेश से,
अर्चना अरोड़ा, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 1996

O.N. 212(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby appoints for the election to the Council of states to be held in pursuance of its Notification No. 100/CS-MT/2/96(1), dated 11th september, 1996 :—

(a) the 18th September, 1996 (Wednesday), as the last date for making nominations;

(b) the 19th September, 1996 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 21st September, 1996 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidature;

(d) the 28th September, 1996 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary be taken; and

(e) the 1st October, 1996 (Tuesday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/CS-MT/2/96(2)]

By Order,
ARCHNA ARORA, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1996

आ. अ. 213(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना संख्या 100/रा.स.-महाराष्ट्र/2/96(1) तारीख 11 सितमबर, 1996 के अनुसरण में राज्य सभा में होने वाले निर्वाचन के लिए 10.00 बजे (पूर्वाह्न) से 2.00 बजे (अपराह्न) तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा ।

[सं. 100/रा.स.-महाराष्ट्र/2/96(3)]

आदेश से,
अर्चना अरोड़ा, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 1996

O.N. 213(E).—In exercise of the powers conferred by section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India, hereby fixes the hours from 10.00 A.M. to 2.00 P.M. as the hours during which a poll shall, if

necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-MT/2/96(1) dated the 11th September, 1996.

[No. 100/CS-MT/2/96(3)]

By Order,
ARCHNA ARORA, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1996

आ. अ. 214(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 के उपबंधों के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से 11 सितम्बर, 1996 की अपनी अधिसूचना सं. 100/रा.स.-महाराष्ट्र/2/96(1) के अनुसरण में होने वाले राज्य सभा के निर्वाचन के लिए उप-सचिव (आकलन समिति), महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय, विधान भवन, बैकबे रिक्लेमेशन, मुम्बई को रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्द्वारा नामित करता है ।

[सं. 100/रा.स.-महाराष्ट्र/2/96(4)]
आदेश से,
अर्चना अरोड़ा, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 1996

O.N. 214(E).—In pursuance of the provisions of Section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India, in consultation with the Government of Maharashtra, hereby nominates Deputy secretary (Estimates Committee), Maharashtra Legislature Secretariat, Vidhan Bhavan, Backbay Reclamation, Mumbai, to be the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its Notification No. 100/CS-MT/2/96(1) dated 11th September, 1996.

[No. 100/CS-MT/2/96(4)]

By Order,
ARCHNA ARORA, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1996

आ. अ. 215(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, तारीख 11 सितम्बर, 1996 की अपनी अधिसूचना सं. 100/रा.स.-महा./2/96(1) के अनुसरण में होने वाले राज्य सभा के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर की, उनके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए, अवर सचिव, (लोक लेखा समिति), महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय, विधान भवन, बैकबे रिक्लेमेशन, मुम्बई को सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करता है ।

[सं. 100/रा.स.-महाराष्ट्र/2/96(5)]

आदेश से,
अर्चना अरोड़ा, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 1996

O.N. 215(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India, hereby appoints the Under Secretary, (Public Accounts Committee), Maharashtra

Legislature Secretariat, Vidhan Bhavan, Backbay Reclamation, Mumbai as Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its Notification No. 100/CS-MT/2/96(1) dated 11th September, 1996 in the performance of his functions.

[No. 100/CS-MT/2/96(5)]

By Order,
ARCHNA ARORA, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996